# Guideline for verification of Certificates

## प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु दिशा–निदेश

**झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में निम्नांकित दिशा–निदेश :–**

1) जैक कार्यालय के द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु देय **Demand Draft** जो **JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL FUND** के नाम से होगा, वही स्वीकार किये जायेगे।

2) **Demand Draft** राँची में भुगतेय होगा।

3) जैक कार्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु अलग अलग परीक्षाओं का अलग–अलग Demand Draft होना आवश्यक है, यथाः–

- माध्यमिक
- इन्टर (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)
- इन्टरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा
- मध्यमा (संस्कृत)
- मदरसा (वास्तानिया, फौकानियाँ, मौलवी, आलिम पास, आलिम ऑनर्स, फाजिल)
- **PTT (Primary Teacher Tearing)** प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण
- **TET (I – V & VI – VIII)**
- **TGT & PGT**

4) प्रति परीक्षा प्रमाण पत्रों के **सत्यापन शुल्क 100/– रू0** निर्धारित है।

5) सत्यापन हेतु संबंधित परीक्षाओं का प्रमाण पत्र की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।

6) सत्यापन हेतु आवेदन/अग्रसारण पत्र देना अनिवार्य है।

7) सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नांकित विहित्त प्रपत्र में **Soft copy & hard copy** में उपलब्ध कराना आवश्यक है।

| क्र0 सं0 | रौल कोड | क्रमांक | वर्ष | छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | कुल प्राप्तांक | श्रेणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |